भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या : 24**
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 04 दिसंबर, 2023
13 अग्रहायण, 1945 (शक)

**स्मारकों के आस-पास निर्माण के लिए नियमों में संशोधन**

24. **श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों के आस-पास निर्माण संबंधी के नियमों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार स्मारकों के ऐतिहासिक महत्व के आधार पर ऐसे नियमों को लागू करने को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है;
(घ) क्या सरकार इस संबंध में संगत अधिनियम में संशोधन करने की प्रक्रिया में है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार ने देश की समृद्ध धरोहर के संरक्षण के साथ-साथ आधारभूत संरचना को अनुमति देने के लिए संरक्षित स्मारकों और स्थलों के आस-पास निर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कानूनी मामलों की जांच करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में संशोधन सरकार के विचारधीन है।

*****